13/नि० (विधान सभा) 01/2024.........409/नि०

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.24 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	**श्री हफीजुल हसन** **माननीय मंत्री, निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है की पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने पत्रांक–2162, दिनांक–29.12.2022 द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में निबंधित जमशेदपुर की संस्था "सूर्य मंदिर समिति" का निबंधन रद्द करने एवं संस्था के विरूद्ध जाँच करने के लिए निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड से अनुशंसा की है;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि संस्था द्वारा कारण पृच्छा का जवाब देने के उपरांत राज्य के निबंधन महानिरीक्षक ने इस मामले की जाँच के लिए बिहार संस्था नियमावली (झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम–12 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–295, दिनांक–27.09.2023 द्वारा एक त्रि–सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि भी शामिल है;	**स्वीकारात्मक।**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि जाँच के फलाफल के अनुरूप संस्था का निबंधन रद्द करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	इस संबंध में विभागीय पत्रांक–295, दिनांक–27.09.2023 द्वारा श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, श्री सुजीत कुमार, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा तथा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए त्रि–सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जा चुका है एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्रतिनिधि नामित करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है। पुनः विभागीय पत्रांक–332, दिनांक–17.11.2023 के माध्यम से भी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को जांच हेतु प्रतिनिधि उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–406, दिनांक–26.02.2024 के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को अविलम्ब प्रतिनिधि नियुक्त कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही विभागीय ज्ञापांक–406, दिनांक–26.02.2024 के माध्यम से श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक एवं श्री सुजीत कुमार, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा, जो जांच समिति के सदस्य है, को निदेशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से संपर्क स्थापित कर उपायुक्त के प्रतिनिधि को नामित करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अविलम्ब जांच पूर्ण कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

P.T.O

ज्ञापांक :— 13/नि॰ (विधान सभा) 01/2024 409/नि० राँची, दिनांक:... 28/2/24

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक—2710, दिनांक—25.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

28-2-24

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :— 13/नि॰ (विधान सभा) 01/2024 409/नि० राँची, दिनांक:... 28/2/24

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री, निबंधन विभाग के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-2-24

सरकार के अवर सचिव